UJVNL

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्याः M-1368/यूजेवीएनलि/05/ उमप्र(मा0सं0)/अनु–1/DA/DR दिनांक 14/05/2025

विषयः–यूजेवीएन लि0 के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षित किये जा चुके है, को मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2025 से लागू दरें ।

समस्त महाप्रबन्धक,
समस्त उपमहाप्रबन्धक,
यूजेवीएन लि0 ।

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक–295029/XXVII-10/2025-E-22807/2022 दिनांक 6 मई, 2025 के अनुपालन में एवं यूजेवीएन लि0, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–9042–यूजेवीएनलि/05/कार्मिक/अनु0–।।।/7–ए, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या 604 दिनांक 15.03.2022 के अनुक्रम में दिनांक 01–01–2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में यूजेवीएनलि0 के अन्तर्गत कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को **दिनांक 01.01.2025 से** निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जनवरी, 2025	मूल वेतन का 55 प्रतिशत

1– इस आदेश में स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01–01–2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9(2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मंहगाई भत्ते के आंगणन हेतु मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जायेगा।

2– ई0पी0एफ0 से आच्छादित कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 30 अप्रैल, 2025 तक अवशेष (एरियर) धनराशि का 12 प्रतिशत ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

3– इस आदेश द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2025 से 30 अप्रैल 2025 तक अवशेष (एरियर) का नगद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 01.05.2025 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा।

4– अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य मंहगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि (डयूटी पीरिएड) के लिए माना जाता है।

Ashutosh 14/5/25

कमशः........2/–

5— इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि की गणनाक्रम में निकटतम एक रूपये तक पूर्णाकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।

6— उक्त आदेशानुसार स्वीकृत बढ़े हुये मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उपमुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नही है।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, अध्यक्ष,यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

2— निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक,यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

3— निदेशक (परियोजनाऐं)/(वित्त)/(परिचालन)/(मा0सं0), यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

4— अधिशासी निदेशक(जानपद)/(वित्त)/(वि0/यांत्रिक)/(मा0सं0), यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

5— उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0),यूजेवीएन लि0,देहरादून को निगम की वैबसाईट शीर्षक **"NIGAM's ORDERS-HR"** पर अपलोड़ किये जाने हेतु ।

6— समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, यूजेवीएन लि0,देहरादून ।

14/5/25

(आशिष कुमार जैन)

अधिशासी निदेशक (मा0सं0)